न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 29/2019**(GCMS : **2019/00049**)

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा –एसएआरबी तृतीय तल, मैट्रिक्स मॉल, सैक्टर–4, जवाहर नगर, जयपुर

बनाम

1. **मैसर्स दी बुलेट बस–प्रो. विवेकपाल सिंह**
   (i) चक 50 एलएनपी, चक महाराजका, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर
   (ii) पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के पास, एमआईरोड़, जयपुर जिला जयपुर
2. **श्री विवके पाल सिंह** पुत्र श्री रनधीर सिंह (भागीदार)
   7 बीएनडब्ल्यू, सादुलशहर, श्रीगंगानगर–335062 ,
3. **श्री अजय पाल सिंह** पुत्र श्री रनधीर सिंह (भागीदार)
   7 बीएनडब्ल्यू, सादुलशहर, श्रीगंगानगर–335062 ,
4. **श्री अमृपाल सिंह** पुत्र श्री कुलवन्त सिंह (भागीदार)
   चक 05 एलएनपी, चक महाराजका, श्रीगंगानगर
5. **श्रीमती हरप्रीत कौर** पत्नी श्री अमृतपाल सिंह
   साकिन 5 एलएनपी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राकेश कुमार एवं संदीप कुमार ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 11.01.2019 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण दी बुलेट बस–प्रो. विवेकपाल सिंह, विवेकपाल सिंह, अजयपाल, अमृतपाल एवं हरप्रीत कौर को ऋण सुविधा के रूप में राशि 99.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये निन्यानवे लाख मात्र) का ऋण दिनांक 25.03.2016 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी मैसर्स दी बुलेट बस–प्रो. विवेकपाल सिंह की चल सम्पत्ति बस वोल्वो HR57A0999, Chassi No. YV3SSL25G8148D19 & Engine no. 195214, हरप्रीत कौर का आवासीय मकान नं. 27, वार्ड नं. 4, चक 5 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20' गुणा 97') एवं अमृतपाल सिंह की आवासीय मकान नं. 28, वार्ड नं 04, चक 5 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 54' गुणा 72')** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.10.12 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी विवकेपाल, अजयपाल, अमृतपाल ने जरिये अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग द्वारा स्वतः की उपस्थित आकर प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत की है, उनके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संदर्भ में 2016(4) डीएनजे(राज.) 1814 राज. हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर एवं अन्य के पैरा 14, 15, 16, 17 में निम्न व्यवस्था दी गई है:—

> 14. From bare reading of section 14 of the act of 2002, it is clear that the District Magistrate is not required to give any notice to borrowers, guarantors or any other person while dealing with the application under Section 14 of the Act of 2002.
> 15. The Division Bench of Bombay High Court after taking into consideration its earlier pronouncements as well as the decision o Hon'ble Supreme Court on the point in issue has held that the action of the District Magistrates and Chief Metropolitan Magistrates of issuing notices to the borrowers, guarantors or any other person providing them opportunity of hearing or allowing them to file objections is contrary to law laid down by the Hon'ble Supreme court and various other high courts.
> 16. I am in perfect agreement with the law laid down by the Bombay High Court in above referred decisions. More over, as per the decision of Hon'ble Supreme Court in United Bank of India Vs. Satyawati Tondon & Ors., (Supra), the petitioners have an alternate remedy to file an appeal under Section 17 of the Act of 2002 against any order passed by the District Magistrate on the application under Section 14 of the act of 2002 filed by the respondents.
> 17. In view of the above discussions, reliefs prayed for by the petitioners in this petition cannot be granted. Hence, the instant writ petition fails and is hereby dismissed.
> There Shall be no order as to costs.

चूंकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी, जमानतदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सुने जाने का कोई प्रावधान नही है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में व्यक्त किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गई आपत्तियों पर किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

से विचार नहीं किया जा सकता और एआईआर 2012 गुजरात 90 के अनुसार भी किसी के अधिकारों को तय करने का इस न्यायालय को कोई अधिकार नही है और एआईआर 2011 बॉम्बे 32 के अनुसार भी किसी भी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने का भी इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है। ऐसी दशा में प्रार्थी ऋणी/फर्म द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र विचार करने योग्य नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण दी बुलेट बस–प्रो. विवेकपाल सिंह, विवेकपाल सिंह, अजयपाल, अमृतपाल एवं हरप्रीत कौर को 99.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये निन्यानवे लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 25.03.2016 को प्रदान की थी, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण दी बुलेट बस, हरप्रीत कौर एवं अमृतपाल सिंह की चल एवं अचल **सम्पत्ति बस वोल्वो HR57A0999, Chassi No. YV3SSL25G8148D19 & Engine no. 195214, आवासीय मकान नं. 27, वार्ड नं. 4, चक 5 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20' गुणा 97') एवं आवासीय मकान नं. 28, वार्ड नं 04, चक 5 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 54' गुणा 72')** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 12.07.2018 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 20.09.2018 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.09.2023 को ही भिजवाये जाना अंकित है। अप्रार्थीगण को जारी धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई प्रार्थीगण दी बुलेट बस, हरप्रीत कौर एवं अमृतपाल सिंह की चल एवं अचल सम्पत्ति **बस वोल्वो HR57A0999, Chassi No. YV3SSL25G8148D19 & Engine no. 195214, आवासीय मकान नं. 27, वार्ड नं. 4, चक 5 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 20' गुणा 97') एवं आवासीय मकान नं. 28, वार्ड नं 04, चक 5 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 54' गुणा 72'),** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वितिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 20.09.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 20.09.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 27.09.2023 को भिजवाना अंकित है। अप्रार्थीगण को जारी धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु अप्रार्थी हरप्रीत कौर के नोटिस पर अमृतपाल के हस्ताक्षर है अप्रार्थी हरप्रीत कौर ने धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से अधिकृत किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिसके अनुसार **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता है।** वितिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के **अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों** [illegible] **की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील** [illegible] **तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है** परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

दिनांक 20.09.2018 को जारी कर पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को भिजवाया है जिसकी प्राप्ति रसीद के अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की तामील नहीं हुई है, इसलिए समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं होने पर, प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर बिना चस्पा कर, दो समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करवाया है।

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Demand Notice

The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmiting at the place where the borrower or his agent. empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper,** one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 20.09.2018 को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भी दिनांक 27.09.2023 को भिजवाये जाने अंकित है और धारा 13(2) के नोटिस की तामील अप्रार्थीगण ऋणी / सहऋणी / गारंटर पर नोटिस की तामील स्वयं पर होनी आवश्यक है जबकि समस्त **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील स्वयं पर नहीं हुई है जो** उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3(4) के प्रावधानों की अवहेलना है। इस प्रकार समस्त अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।**

कोई भी न्यायालय किसी भी प्रचलित / प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के बाहर जाकर कोई निर्देश / आदेश जारी नहीं कर सकता है और इसके सम्बन्ध माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीड ने 2012 Cr. I.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा–13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है:

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and karnataka State Road Trasnport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

चूंकि अप्रार्थीगण पर उक्त RULE 3(4) के प्रावधानों के तहत धारा 13(2) के नोटिस की तामील न होने के कारण एवं उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण, प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। **प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, बाद जाब्ते तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:58:34 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर